

2025/819

श्री 04

17.10.2025

फर्द अहकाम  
(नियम 15)

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ  
धर्मेन्द्र बनाम अमरसिंह आदि  
पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 554 वर्ष 2025

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज  | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये |
|-------------|---|--|
| 13.10.2025  | <p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 27.10.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">or</p>   |  |
| 15.10.2025  | <p>वकील वादी ने तार्पना - फा मित्राल पेशी पेश करने पर त्फावली को पेशी में लिया गया। कुलार फरिदेन उपस्थित नहीं कपुली वडी म. 18/3 ने हाजिर अदालत हाजिर राजीनामा पेश किया जिसे वाद वसीड दाखिल कार्रवा किया गया। त्फावली वाले स्टेट जजक 8/10/25 तारीख 17.10.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">or</p>   | <p>श्री 04</p> <p>अमरसिंह</p> <p>पत्रावली</p>          |
| 17.10.2025  | <p>कुलार फरिदेन उपस्थित स्टेट जजक प्राप्त उभरी वदस सुनी गरी त्फावली का अवलोकन किया गया। त्फावली पर उपलब्ध रिकार्ड व वडी मुसवी से राजीनामा के आधार पर वाद वडी सिद्धी किया जाया है। पूर्ण विवरण सहित सिविल अलग से लिखाया जाकर दाखिल कार्रवा किया जाये। त्फावली नम्बर के क्रम की जाकर वाद वसीड तत्काल दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">or</p> |  |

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर

